किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान–बुधाराम बनाम आसुराम वगैरह मु.नं. 55/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 610/166 रकबा 4.2573 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु समदड़ी को 1000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे तहरीर जारी हो। पालंना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.12.01 14:27:50 IST Reason: SelfAttested खण्ड अधिकारी ाना (बाडमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक/2024/361 दिनांक : 15.07.2024

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**
बुधाराम पुत्र जोधाराम **आसुराम पुत्र वीरमा**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं 55/2023 दिनांक :– 15.07.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम फूलण तहसील समदड़ी के खेत खसरा संख्या 610/166 रकबा 4.2573 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 1000/–प्रार्थीगण अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाचक /2024/362 दिनांक : 15.07.2024
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदड़ी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदड़ी
3. हल्का पटवारी सांवरड़ा को तहसीलदार समदड़ी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी बुधाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदड़ी

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested